

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4244
दिनांक 19.08.2025 को उत्तरार्थ

पंचायत उत्तरांक 2.0 के कार्यान्वयन हेतु आवंटित निधि

+4244. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा पंचायत उत्तरांक 2.0 के कार्यान्वयन हेतु तमिलनाडु सहित राज्यवार कुल कितनी निधि आवंटित की गई है; और
- (ख) सरकार द्वारा तमिलनाडु में पीएआई 2.0 के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) मंत्रालय वित्त वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य निवाचित प्रतिनिधियों (ईआर), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाना है ताकि वे शासन से संबंधित अपनी भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का प्रभावी निर्वहन कर सकें।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आरजीएसए की वार्षिक कार्य योजना में, तमिलनाडु सहित 9 विषयों; डेटा संग्रहण प्रक्रिया; सत्यापन प्रणाली आदि में स्थानीय संकेतकों के फ्रेमवर्क पर पीआरआई की क्षमता निर्माण के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पीएआई 2.0 को प्रयोग में लाना शुरू करने के लिए कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। पीएआई संस्करण 2.0 के निष्पादन संबंधी प्रशिक्षण/कार्यशाला के तहत अनुमोदित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार राशि **अनुलग्नक-1** में दी गई है।

(ख) मंत्रालय ने मई 2025 में **पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (पीएआई)** संस्करण 2.0 पर एक दिवसीय राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला (राइट-सॉप) का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान, **पीएआई** के राज्य नोडल अधिकारी, ज़िला एवं लोक अधिकारी, तकनीकी अधिकारी तथा अन्य हितधारकों को **पीएआई** संस्करण 2.0 के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया तथा उन्हें **पीएआई** पोर्टल की कार्यप्रणालियों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से पीआरआईके पदाधिकारियों, अधिकारियों एवं विभागों के फ्रंटलाइन वर्करों की क्षमता निर्माण हेतु परामर्श भी जारी किए हैं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य **पीएआई** संस्करण 2.0 के विभिन्न चरणों के बारे में साझा समझ विकसित करना एवं इसकी विशेषताओं तथा कार्यप्रणालियों की जानकारी देना है।

इसी क्रम में, तमिलनाडु राज्य ने ग्राम पंचायत पदाधिकारियों, पीआरआई अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों के लिए **पीएआई** संस्करण 2.0 पर कार्यशालाएँ/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। राज्य ने डाटा प्लाइट्स को कॉन्फिगर किया है तथा ग्राम पंचायतों द्वारा डाटा प्रविष्टि प्रारम्भ कराने हेतु डाटा संग्रहण प्रारूप प्रकाशित किया है। वर्तमान में, PAI संस्करण 2.0 के लिए डाटा संग्रहण एवं प्रविष्टि की प्रक्रिया जारी है।

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4244 जिसका उत्तर दिनांक 19/08/2025 को दिया जाना है, के
भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पीएआई संस्करण 2.0 के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण/कार्यशाला के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार
स्वीकृत निधि

(करोड़ रुपये में)

क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत धनराशि
1	आंध्र प्रदेश	3.19
2	अरुणाचल प्रदेश	2.52
3	असम	0.82
4	बिहार	2.81
5	छत्तीसगढ़	0.07
6	गोवा	*
7	गुजरात	3.71
8	हरियाणा	1.60
9	हिमाचल प्रदेश	0.61
10	जम्मू एवं कश्मीर	1.70
11	झारखंड	0.83
12	कर्नाटक	0.78
13	केरल	0.70
14	मध्य प्रदेश	1.88
15	महाराष्ट्र	0.87
16	मणिपुर	*
17	मेघालय	0.74
18	मिजोरम	1.50
19	नागालैण्ड	0.00
20	ओडिशा	1.88
21	पंजाब	0.24
22	राजस्थान	4.04
23	सिक्किम	0.05
24	तमिलनाडु	1.33
25	तेलंगाना	*
26	त्रिपुरा	0.33
27	उत्तराखण्ड	0.83
28	उत्तर प्रदेश	10.62
29	पश्चिम बंगाल	3.04
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	*
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	*
32	लद्दाख	*
कुल		46.68

*वार्षिक कार्य योजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है।
